रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2001/चैत्र 14, 1923

No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2001/CHAITRA 14, 1923

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2001

सा. का. नि. 245 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 6 अक्तूबर, 2000 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 755 (अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2000 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त प्रारूप प्रकाशित हुआ था, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, इक्कीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था ;

और भारत के उक्त राजपत्र की प्रतियां 9 अक्तूबर, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-



Scanned by CamScanner

## नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में -

(i) नियम 32 में -

(अ) खंड (ख) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि जब भी किसी खाद्य पदार्थ में एक संघटक के रूप में पक्षियों, ताजे जल अथवा समुद्री जीव-जन्तुओं अथवा अंडों सहित कोई समग्र जीव-जन्तु अथवा उसका कोई भाग अन्तर्विष्ट होगा, तो -

**(क) यह उपदर्शित करने के लिए कि उत्पाद मांसाहारी खाद्य पदार्थ है, इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार अनुबंधित प्रतीक और रंग कोड द्वारा इस आशय की एक घोषणा की जाएगी। इस प्रतीक में भूरे रंग से भरा हुआ एक वृत्त होगा जिसका व्यास नीचे दी गई तालिका में विहित न्यूनतम आकार से कम** नहीं होगा जो वृत्त के व्यास के दुगने किनारे वाली भूरी बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर होना चाहिए जैसा कि नियम 42 के उपनियम (ययय) के खंड 16 में उपदर्शित है ;

### सारणी

| क्र. सं. | मूल प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र | व्यास का न्यूनतम आकार मि. मी. में |
|---|---|---|
| 1. | 100 से.मी. के वर्ग तक | 3 |
| 2. | 100 से.मी. वर्ग से ऊपर 500 से.मी. वर्ग तक | 4 |
| 3. | 500 से.मी. वर्ग से ऊपर 2500 से.मी. वर्ग तक | 6 |
| 4. | 2500 से.मी. वर्ग से ऊपर | 8 |

(ख) यह प्रतीक -

(iv) मूल प्रदर्शन पैनल पर विषम पृष्ठभूमि वाले पैकेज ;

(v) उत्पाद के नाम अथवा ब्रांड नाम के बिल्कुल नजदीक ; और

(vi) लेबलों, आधानों, पम्फलेटों, इश्तहारों, किसी भी प्रचार माध्यम आदि के विज्ञापनों में, प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

परंतु यह भी कि जहां किसी खाद्य पदार्थ में केवल अंडा एक मांसाहारी संघटक के रूप में अन्तर्विष्ट होगा तो वहां विनिर्माता, पैककर्ता अथवा विक्रेता उक्त प्रतीक के अलावा इस आशय की एक घोषणा करेगा।"

Scanned by CamScanner

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबन्ध किसी ऐसे मांसाहारी खाद्य के बाबत लागू नहीं होंगे जो खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2000 के प्रारम्भ से पूर्व विनिर्मित और बिना प्रतीक पैक किया गया है।

(आ) स्पष्टीकरण VIII के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् ;

"स्पष्टीकरण IX "मांसाहारी खाद्य" से एक ऐसा खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसमें एक संघटक के रूप में पक्षियों, ताजा जल अथवा समुद्री जीव-जन्तुओं अथवा अंडों सहित कोई भी समग्र जीव-जन्तु अथवा उसका भाग अंतर्विष्ट हो।

(iii) नियम 42 के उपनियम (ययय) के खंड 15 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :-

"(16) मांसाहारी खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य पदार्थ के नाम अथवा ब्रांड नाम के बिल्कुल नजदीक मुख्य प्रदर्शन पैनल पर निम्नलिखित प्रतीक होगा ; अर्थात् :

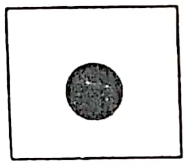 "

[सं. पी. 15014/12/99-पी.एच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में का.नि.आ. 2105, तारीख 12.9.1955 के तहत प्रकाशित किए गए थे और उनमें सा.का.नि.सं.165(अ), दिनांक 7.3.2001 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Department of Health)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th April, 2001

G.S.R. 245(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) in the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health)number G.S.R. 775(E), dated the 6th October, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 6th October, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of twenty one days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

Scanned by CamScanner

And whereas the copies of the said Official were made available to the Public on 9th October, 2000;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therel re, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:

**RULES**

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 2001.

   (2) They shall come into force after six month from the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, -

   (1) in rule 32,-

   (A) in clause (b), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that when any article of food contains whole or part of any animal including birds, fresh water or marine animals or eggs or product of any animal origin, but not including milk or milk products, as an ingredient, -

(a) a declaration to this effect shall be made by a symbol and colour code so stipulated for this purpose to indicate that the product is Non-Vegetarian Food. The symbol shall consist of a brown colour filled circle having a diameter not less than the minimum size specified in the Table given below, inside the square with brown outline having side double the diameter of the circle, as indicated in clause (16) of sub-rule (ZZZ) of rule 42;

TABLE

| S.No | Area of principal display panel | Minimum size of diameter in mm |
|---|---|---|
| 1 | Upto 100 cms square | 3 |
| 2 | Above 100 cms square upto 500 cms square | 4 |
| 3. | Above 500 cms square upto 2500 cms square | 6 |
| 4. | Above 2500 cms square | 8 |

Scanned by CamScanner

(b) the symbol shall be prominently displayed, -

(i) on the package having contrast background on principal display panel,
(ii) just close in proximity to the name or brand name of the product, and
(iii) on the labels, containers, pamphlets, leaflets, advertisements in any media;

Provided also that where any article of food contains egg only as Non- Vegetarian ingredient, the manufacturer, or packer or seller may give declaration to this effect in addition to the said symbol :

Provided further that the provisions of these rules shall not apply in respect of any Non-Vegetarian Food which is manufactured and packed without the symbol before the commencement of the Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 2001.

(B) after Explanation VIII, the following Explanation shall be inserted, namely :-

'Explanation IX - "Non-Vegetarian Food" means an article of food which contains whole or part of any animal including birds, fresh water or marine animals or eggs or products of any animal origin, but not including milk or milk products, as an ingredient." ;

(II) in rule 42, in sub- rule (ZZZ), after clause (15), the following shall be inserted, namely:-

"(16) Every package of Non- Vegetarian Food shall bear the following symbol on the principal display panel just close in proximity to the name or brand name of food, namely: -

"

[No. P. 15014/12/99-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

NOTE : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 165(E) dated 7.3.2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2001.

Scanned by CamScanner